रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225682
CG-DL-E-05032021-225682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942
No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कारोबार के संचालन के लिए बैठक) संशोधन विनियम, 2021

(2021 का संख्यांक 2)

फा.सं. आर-40007/6/विनियम-बैठक/अधिसूचना/2021-सीसीआई.—प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एतद्द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कारोबार के संचालन के लिए बैठक) विनियम, 2009 को और संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कारोबार के संचालन के लिए बैठक) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाएगा।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कारोबार के संचालन के लिए बैठक) विनियम, 2009 में, विनियम 3 के पश्चात निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात :-

"3क. आयोग की बैठकों के लिए गणपूर्ति -

(1) अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अधीन, आयोग अभिवचनों की पूर्णता के पश्चात अंतिम सुनवाई के लिए मामले निर्धारित करेगा और ऐसी सुनवाई के दौरान आयोग की गणपूर्ति स्थिर रहेगी तथा केवल ऐसी गणपूर्ति ही सभी सुनवाई तारीखों पर आगे की सभी कार्यवाहियों में सुनवाई करना और भाग लेना जारी रखेगी तथा अंतिम आदेश लिखेगी।

(2) यदि किसी भी कारण से समान गणपूर्ति के साथ सुनवाई को जारी रखना असंभव हो जाता है, तो मामले की सुनवाई नए सिरे से एक नई गणपूर्ति के साथ की जाएगी।

एस. घोष दस्तीदार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./522/2020-21]

टिप्पणी: प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।।, खंड 4 में दिनांक 21 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या आर-40007/6/विनियम-बैठक/अधिसूचना/04-सीसीआई के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

The Competition Commission of India (Meeting for Transaction of Business) Amendment Regulations, 2021

(No. 2 of 2021)

F. No. R-40007/6/ Reg-Meeting/Noti/2021-CCI.—In exercise of the powers conferred by section 64 read with sub-section (1) of section 22 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Meeting for Transaction of Business) Regulations, 2009, namely: –

1. (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Meeting for Transaction of Business) Amendment Regulations, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Meeting for Transaction of Business) Regulations, 2009, after regulation 3, the following regulation shall be inserted, namely: -

"3A. Coram for meetings of Commission-

(1) Subject to the provisions of Section 22 of the Act, the Commission shall set down cases for final hearing after completion of pleadings and during such hearings, *coram* of the Commission would remain constant and such *coram* alone would continue to hear and participate in all subsequent proceedings on all hearing dates and would write the final orders.

(2) If it becomes impossible to continue the hearings with the same *coram*, for any reason whatsoever, the matter would be heard afresh with new *coram*."

S. GHOSH DASTIDAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./522/2020-21]

Note: The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification number R-40007/6/ Reg-Meeting/ Noti/ 04- CCI, dated the 21st May 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.05 22:54:12 +05'30'